

न्यायालय— सिविल जज (सी०डि०), तृतीय, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण

स्वत्व वाद संख्या :- 82/2020
CIS No. :- TS-82/2020

जवाहर साह बनाम भट्टमन पासवान

दिनांक—15.01.2021

अभिलेख पेश हुई। पुकार करायी गयी। पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।
प्रार्थना पत्र दिनांक—15.01.2021 के निस्तारण पर बल दिया गया। सुना।

निस्तारण प्रार्थना पत्र दिनांक—15.01.2021

प्रार्थना पत्र दिनांक—15.01.2021 वादी द्वारा इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि प्रतिवादी पर जरिये नजारत सम्मन भेजा गया है। जिसको प्रतिवादी लेने से इंकार किया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी पर जरिये नजारत सम्मन का तामिला मानते हुए प्रतिवादी के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अग्रसारित किये जाने हेतु बल दिया गया।

अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रतिवादी पर जरिये नजारत सम्मन का तामिला पर्याप्त नहीं है। ऐसी परिस्थिति में प्रतिवादी पर सम्मन का तामिला द्वारा रजिस्ट्री किया जाना आवश्यक है। अतः वादी को आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादी पर रजिस्ट्री सम्मन की तामिला हेतु पैरवी एक सप्ताह के अन्दर करे।

अभिलेख वास्ते प्रतिवादी की उपस्थिति हेतु दिनांक—19.02.2021 को पेश हो।

अपर सिविल जज (सी०डि०) तृतीय
न्यायालय कक्ष—4, नरकटियागंज।